

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:-प.4(ई)(1)(6)निप/भर्ती-2023/(स्थापना)/अलेसे-III/1005

दिनांक:- 02-07-2025

शुद्धि पत्र (Corrigendum)

विभागीय आदेश क्रमांक 992 दिनांक 01.07.2025 के द्वारा श्री मनीष कुमार मीणा पुत्र श्री रामदेव मीणा, कनिष्ठ लेखाकार (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) (रोल नं. 785215), हाल पदस्थापित कार्यालय जिला कलक्टर, आपदा प्रबन्धन प्रकोष्ठ, बूंदी को कनिष्ठ लेखाकार पद से पदच्युत किये जाने का आदेश जारी किया गया था। इस विभागीय आदेश के पैरा 03 की पाँचवी लाईन में सहवन (Inadvertently) से "श्री शर्मा" अंकित हो जाने के कारण "श्री शर्मा" के स्थान पर " श्री मीणा" पढ़ा जावे।

आदेश का शेष भाग पूर्वानुसार यथावत रहेगा।

(बृजेश किशोर शर्मा)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:-प.4(ई)(1)(6)निप/भर्ती-2023/(स्थापना)/अलेसे-III/1005

दिनांक:- 02-07-2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
3. जिला कलक्टर, आपदा प्रबन्धन प्रकोष्ठ, बूंदी।
4. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, वित्त (विधि प्रकोष्ठ) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
6. संयुक्त विधि परामर्शी, कोष एवं लेखा विभाग।
7. कोषाधिकारी, बूंदी।
8. उपनिदेशक (ए.सी.पी.) कोष एवं लेखा विभाग।
9. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
10. रक्षित/निजी पत्रावली।

(सीमा कौशल)

संयुक्त निदेशक (कार्मिक II/III)